रात्रि चौपाल ग्रामीणों का सहारा बनी, मौके पर ही मिली राहत

पावटा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा रात्रि चौपालों के माध्यम से आमजन की समस्याओं का प्रभावी समाधान किया जा रहा है। पावटा पंचायत समिति अंतर्गत ग्राम पंचायत फतेहपुरा खुर्द में आयोजित हुई रात्रि चौपाल में उपखंड अधिकारी पावटा कपिल कुमार उपाध्याय ने ग्रामीणों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और उनका त्वरित समाधान किया। इस दौरान पावटा पंचायत समिति विकास अधिकारी सुशीला यादव, तहसीलदार संजय खेदड, बीसीएम एचओ कृष्ण सिंह, पशु चिकित्सक नवल कुमार पारीक, सीबीईओ धर्मवीर जिन्दौलिया, वन विभाग से शेर सिंह बाकोलिया, सीडीपीईओ मंजू सैनी सहित समस्त ब्लॉक एवं ग्राम स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी पावटा कपिल कुमार उपाध्याय को अपनी समस्याएं बताने के लिए इस अवसर पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और उन्होंने मुखर रूप से स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली तथा राजस्व से संबंधित विभिन्न समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रखीं। जिस पर उपखंड अधिकारी पावटा कपिल कुमार उपाध्याय ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को मौके पर ही निर्देश दिए तथा यथासंभव समस्याओं का तत्काल समाधान भी किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन की सीधी पहुंच सुनिश्चित करना तथा आमजन की शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाना था। उपखंड अधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे आमजन की समस्याओं के प्रति संवेदनशील रहते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी को चाहिए कि वह फील्ड में जाकर समस्याओं का प्रत्यक्ष अवलोकन करे।

■ अधिकारी त्वरित एवं प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करें : कपिल कुमार उपाध्याय

फतेहपुरा खुर्द में आयोजित रात्रि चौपाल में एसडीएम कपिल कुमार उपाध्याय ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी।

कार्यशाला आयोजित

अलवर। जिला कलेक्टर डॉ. आर्तिका शुक्ला की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में वन्दे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान के तहत जिला स्तरीय सीएसआर की कार्यशाला आयोजित हुई। बैठक में जिला कलेक्टर ने जिला औद्योगिक इकाइयों से इस वर्ष सीएसआर से अधिकतम जल संरक्षण के कार्य कराने का आव्हान किया और हरियालो राजस्थान अभियान के तहत सीएसआर से 4 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य दिया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण को दृष्टिगत रखते हुए जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण-जन अभियान संचालित किया है। जिसके तहत आमजन को जागरूक कर सरकारी योजनाओं के माध्यम से, सीएसआर, जन सहभागिता आदि से जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्त्रोतों की साफ-सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरूद्धार, पर्यावरण व जल संरक्षण एवं जागरूकता की गतिविधियां आयोजित की जा रही है। उन्होंने जिले में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों के प्रतिनिधियों से कहा कि जिले की भौगोलिक परिस्थितियों एवं गिरते भूजल के मध्यनजर जिले में जल संरक्षण के कार्य करने की बहुत संभावना है।

जाम से राहगीर परेशान

पावटा। कस्बे में प्राय: लग रहे जाम के कारण घंटों तक यातायात बाधित रहने लगा है। जिससे लोग खासे परेशान हैं। गुरुवार को भी कस्बे में दोपहर में जाम लगा रहा। भीषण गर्मी में जाम के फंसे वाहन सवार लोगों का गुस्सा चरम पर रहा। लोगों का कहना था कि कस्बे में यातायात व्यवस्था सही से संचालित न होने की वजह से आएदिन जाम की वजह से परेशानी झेलनी पड़ती है। कस्बे के सर्विस रोड, मुख्य मार्ग और बाजार में जाम की समस्या आम हो गई है। जिससे रोज कई स्थानों पर यातायात बाधित बना रहता है। थोड़ी ही देर में ही वाहनों की लंबी लाइनें लग जाती है। जिससे पैदल व्यक्ति भी सड़क पार नहीं कर पाता। कस्बे में भारी वाहन भी तंग सर्विस रोड में घुसकर जाम की समस्या को और बढ़ा देते हैं। गुरुवार को भी नगर के मुख्य मार्ग पर सुबह 11 बजे के करीब जाम लग गया, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी में काफी परेशानी हुई। कस्बे में आए दिन जाम की समस्या को देखते हुए वाहनों की अवैध पार्किंग रोक लगाई

गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपी पकड़े

सांभरझील, (निसं)। नरायना पुलिस ने सेल्समैन की गोली मारकर हत्या करने के मामले में दो आरोपियों के गिरफ्तार किया है। आनन्द शर्मा पुलिस सह-पुलिस अधीक्षक जिला जयपुर ग्रामीण ने जानकारी दी कि रामस्वरूप पानवां कलां गांव जाटो का मौहल्ला ने बताया कि बिना नम्बर प्लेट की थार गाडी में सवार लोगो ने मेरे घर पर फायरिंग की है तथा जान से मारने की धमकी देकर गये हैं। सूचना अभय कमाण्ड जयपुर ग्रामीण द्वारा पुलिस थाना नरैना को दी गई जिस पर ईंचार्ज थानाधिकारी नरैना मय जाप्ते के घटनास्थल के लिए रवाना हुए इसी दौरान पुलिस थाना नरैना पर दूसरी ईतला मिली कि उक्त लोग शाकम्भरी पेट्रोल पम्प (इण्डियन पेट्रोल पम्प) मरवा पर सेल्समेन पर फायरिंग करके भाग गये हैं तथा मजरुब सीएचसी नरैना में ईलाज हेतु आया हुआ है जिस पर थानाधिकारी नरैना मय जाप्ता के सीएचसी नरैना पहुंचें जंहा पर गोली लगे सेल्समेन शैतान गुर्जर पुत्र नारायण गुर्जर उम्र 25 साल निवासी मोरडी खुर्द थाना नरैना जिला जयपुर की मृत्यु हो चुकी थी। पूछताछ पर मालुमात से पता चला की सेल्समेन शैतान गुर्जर पर फायरिंग गोपाल जाट पुत्र श्री अमर चन्द जाति जाट उम्र 30 साल निवासी आदरवा थाना नरैना जिला जयपुर व शैतान डंसानिया पुत्र नारायण जाट जाति जाट उम्र 27 साल निवासी पानवा कला थाना नरैना जिला जयपुर ने की है। घटना की गम्भीरता को देखते हुए फरार अपराधी शैतान जाट व गोपाल जाट को तुरन्त गिरफ्तार करने हेतु अतिरिक्ति पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) जयपुर ग्रामीण रजनीश पूनियां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दूदू शिवलाल बैरवा आरपीएस के निर्देशन में तथा वृत्ताधिकारी सांभरलेक अनुपम मिश्रा आरपीएस के निकटतम सुपरविजन में व थानाधिकारी नरैना, धर्मसिंह, उप निरीक्षक, थानाधिकारी रेनवाल मांझी, मौजमाबाद, थानाधिकारी फुलेरा, थानाधिकारी सांभरलेक, व डीएसटी टीम जयपुर ग्रामीण के नेतृत्व में संयुक्त पुलिस टीमों का गठन किया गया। घटना के संबंध में जरिये कन्ट्रोल रुम जयपुर ग्रामीण के मार्फत सम्पुर्ण जयपुर ग्रामीण, अजमेर व नागौर जिले में क्युएसटी करवाई जाकर नाकाबन्दी करवाई गई। जयपुर ग्रामीण पुलिस की विभिन्न टीमों व श्सत्यवान मीणा उप निरीक्षक थानाधिकारी रूपनगढ जिला अजमेर मय जाप्ता के सहयोग से आसूचना संकलन व तकनीकी सहायता द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए फायरिंग करने वाले आरोपियों गोपाल लाल पुत्र अमरचन्द उर्फ अमरा राम जाट निवासी आदरवा थाना नरैना तथा शैतान लाल पुत्र गोपाल लाल जाति जाट निवासी पांनवा कलां थाना नरैना जिला जयपुर को डिटेन किया।

बालश्रम उन्मूलन पर सेमिनार

टोंक। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक, जिला बाल संरक्षण इकाई, टोंक एवं गैर-सरकारी संस्था सिकोइडिकॉन, टोंक के संयुक्त तत्वावधान में बालश्रम निषेध के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने हेतु एक जागरूकता कार्यक्रम एवं रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन ए.डी.आर. मीटिंग हॉल में किया गया, जिसमें समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों, विद्यार्थियों एवं जागरूक नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, टोंक के सचिव दिनेश कुमार जलुथरिया ने बालश्रम की समस्या पर प्रकाश डालते हुए इसके सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक दुष्प्रभावों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बालश्रम न केवल बच्चों के बचपन को छीनता है, बल्कि उन्हें शोषण, हिंसा और अनपढ़ता की ओर धकेलता है। उन्होंने कहा कि बाल श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और बाल्यावस्था का अधिकार नहीं मिल पाता, जिससे वे जीवन भर पिछड़ जाते हैं।

माजीसा प्रभा कुमारी के निधन पर शोक जताया

रानी रत्ना कुमारी की माताजी माजीसा प्रभा कुमारी के निधन पर गणमान्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेत्री रानी रत्ना कुमारी की माताजी माजीसा प्रभा कुमारी धर्मपत्नी स्व. राजकुमार बलभद्र चंद जी (चेनैनी रियासत, जम्मू-कश्मीर) का 29 मई, 2025 को स्वर्गवास हो गया। उनकी आत्मा की शांति के लिए गुरुवार, 12 जून 2025 को उनके निवास स्थान, शाहपुरा हाउस, बनीपार्क, जयपुर में एक शोकसभा का आयोजन किया गया। इस शोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं सहित बडी संख्या में क्षेत्र के नागरिकों ने उपस्थित होकर दिवंगत पुण्यात्मा को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी, संघ प्रचारक निंबाराम, पूर्व सांसद रामचरण बोहरा, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगडी, बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावतश्, पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, एडीजी वीके सिंह जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी के संस्थापक संदीप बक्शी, खालिद ख़ान राघवेंद्र दास जी महाराज मेड सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

जल का संरक्षण करने के तरीकों पर चर्चा

कोटपूतली। वन्दे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कृषि एवं उद्यानिकी विभाग द्वारा गुरुवार को कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा में फॉर्म पौण्ड, सिंचाई पाईपलाईन, फव्वारा, ड्रीप की जारी प्रशासनिक स्वीकृतियां संबधित किसानों को वितरित की गई। संयुक्त निदेशक कृषि महेंद्र जैन ने बताया कि कार्यक्रम में प्राकृतिक खेती, सूक्ष्म सिंचाई, जैविक खेती, विभागीय योजनाओं की जानकारी किसानों को दी गई एवं केन्द्र में सूक्ष्म सिंचाई संयत्रों की प्रदर्शनी लगाई गई। उन्होंने बताया कि किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया एवं मौके पर कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा द्वारा खेती में किये जा रहे नवाचारों, फार्म पौण्ड, ड्रीप सिंचाई संयत्रों फसल प्रदर्शन, पशुपालन संबंधी कार्यो का अवलोकन कराया गया। इस दौरान स्थानीय जनप्रतिनिधियों, कृषि एवं उद्यान विभाग के अधिकारियों व कार्मिकों, प्रगतिशील किसानों, कृषि विज्ञान केन्द्र गोनेड़ा के वैज्ञानिकों द्वारा भाग लिया गया। साथ ही मोरिंगा के पौधौ का रोपण भी किया गया।

प्रतिभावान बेटियां पुरुस्कृत

अलवर। पर्यावरण एवं वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने गुरूवार को दयानन्द सरस्वती मार्ग स्थित आर्य कन्या विद्यालय समिति द्वारा आयोजित शिक्षक एवं प्रतिभावान छात्राओं के सम्मान समारोह 2025 में शिरकत कर अध्ययन कार्य में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों एवं 10 वीं और12 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली 50 प्रतिभावान बालिकाओं को प्रशस्ति पत्र व मेडल प्रदान कर सम्मानित किया।

इस मौके पर वन राज्य मंत्री शर्मा ने प्रतिभावान बेटियों को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी। उन्होंने बालिका शिक्षा पर जोर देते हुए कहा कि जो समाज पढेगा वो निश्चित रूप से आगे बढेगा। अत: सभी समाज बेटियों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर उन्हें आगे बढने हेतु प्रोत्साहित करें।

उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में हमारी बेटियां शिक्षा प्राप्त कर प्रतिष्ठित पदों पर अपनी सेवाएं देकर देश का नाम रोशन कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में निरन्तर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड मां के नाम अभियान के तहत अधिकाधिक पौधारोपण करने, स्वच्छता व प्रतिबंधित पॉलीथीन का उपयोग नहीं करने का आ ान किया।

उन्होंने कहा कि 10वीं और12वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाली विद्यालय की प्रतिभावान बेटियों को प्रकृति एवं वन्यजीवों की जानकारी व जागरूकता प्रदान करने हेतु सरिस्का वन्यजीव क्षेत्र में भ्रमण कराया जाएगा। इस दौरान उन्होंने आर्य कन्या विद्यालय के परिसर में अपने दैनिक पौधारोपण करने के संकल्प के तहत पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

इस अवसर पर जगदीश प्रसाद गुप्ता, अशोक आर्य, प्रदीप आर्य, बाबू झालानी, सुरेंद्र सक्सेना, कमला शर्मा, प्रदुमन कुमार गर्ग, सुरेश मेहता, अशोक मेठी सहित प्रबुद्ध व्यक्ति, शिक्षकगण एवं बडी संख्या में विद्यार्थी मौजूद रहे।

राज्यपाल ने ली जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक

डीग भरतपुर (निस)। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने कहा कि राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा, सड़क, चिकित्सा सहित अन्य आधारभूत सुविधाओं का उत्कृष्ट होना अति महत्वपूर्ण है। राज्यपाल गुरुवार को महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय कुम्हेर डीग के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित करते हुये राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति की विभागवार समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि योजनाओं के माध्यम से प्रत्येक पात्र व्यक्ति को जो किन्ही भी कारण से अब तक लाभ से वंचित रह गए है उन्हें लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि दूरवर्ती क्षेत्र जहां तक चिकित्सालय, राशन दुकान, विद्यालय आदि नहीं पहुंच पाए है वहां के लोगों को भी जागरूक करते हुए उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ दे। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का मूल्यांकन करते हुए योजना के अंतर्गत बनाए जा रहे आवासों में भूतल स्तर सही रखने, वेंटीलेटर सुविधा देने, आवास के दरवाजों को सही ढंग से बनाने सहित अन्य विषयों पर विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भारत के वास्तुकारों ने अद्भुत स्मारकों और महलों का निर्माण किया है जो आज भी अनुकरणीय हैं। ऐसे में निर्माण का मानक और स्तर दोनों ही उच्च गुणवत्ता के हो। इस संबंध में उन्होंने सहायक अभियंता से भी इस पर जानकारी ली और वास्तविक स्थिति के बारे में पूछा। उन्होंने जिले में अब तक जारी किए गए पट्टे के बारे में जानकारी ली एवं शेष बचे पट्टों को शीघ्र आवंटित करने के निर्देश दिए।

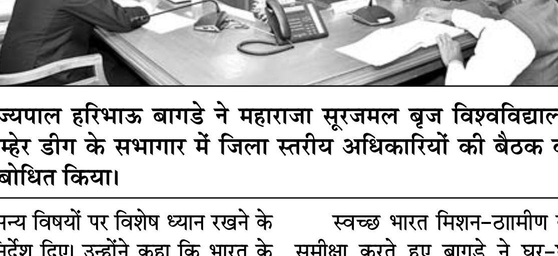

राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय कुम्हेर डीग के सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों की बैठक को संबोधित किया।

स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण की समीक्षा करते हुए बागड़े ने घर-घर शौचालय निर्माण, पेयजल की व्यवस्था, जलनिकास, साफ-सफाई आदि कार्यों को प्राथमिकता के साथ लेते हुए पूर्ण करने के निर्देश दिए। बागड़े ने प्रत्येक घर में शौचालय सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सेवकों को निर्देशित किया कि वे ग्राम पंचायतों का सर्वे कर डेटा तैयार करे। उन्होंने जिले में पिंक टॉयलेट के बारे में भी चर्चा की और शौचालय के सार्वजनिक उपयोग के लिए सुगम व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आम लोगों को जागरूक किया जाए कि वे कचरा सड़क पर न फेंके और न ही उसे जलाएं। उन्होंने कचरे के प्रबंधन को लेकर भूमि पर गड्ढे खोदने पर जोर दिया ताकि कचरे को जलाने के बजाय गड्ढों में रखा जा सके। उन्होंने कहा कि जब गड्ढा भर जाए तो दूसरा गड्ढा खोदा जा सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि पाउडर, वर्मीकॉस्ट और अन्य उन्नत प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए कचरे से खाद्य बनाई जा सकती है जिससे शहर में कचरे का उचित उपयोग हो सकेगा। राज्यपाल बागडे ने राजीविका के समुह द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए कहा कि जिले में राजीविका के समुह द्वारा बनाए जा रहे व्यवसायों को बढ़ाने में उनकी मदद किया जाए। उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह की परिकल्पना तब ही साकार हो सकती है जब समूह स्वयं व्यवसाय करे और लाभदायक बनायें। उन्होंने समूहों को मुनाफ़ेवाला बनाने के लिए बैलेंस शीट तैयार करवाने, कच्ची सामग्री की लागत निर्धारण, उत्पादन लागत आदि सूचनाओं की जानकारी जुटाते हुए आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए। जल जीवन मिशन की समीक्षा के दौरान उन्होंने टैंकर मुक्त गांव बनाने के निर्देश दिए।

■ राज्य की प्रगति के लिए शिक्षा, सड़क सहित आधारभूत सुविधाओं का उत्कृष्ट होना अति महत्वपूर्ण : राज्यपाल बागड़े

आम सूचना श्री प्रेम चन्द पुत्र स्व. श्री हरिशंकर एवं श्री रोहित कुमार पुत्र स्व. श्री हरिशंकर द्वारा संयुक्त रूप से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांकित 27.08.2013 के माध्यम से अचल सम्पत्ति सैकण्ड फ्लोर यूनिट कुल क्षेत्रफल 1600 वर्गफीट स्थित प्लाट नम्बर 183, मोहन नगर, गोपालपुरा बाईपास रोड, जयपुर को क्रय कर, मौके पर वास्तविक भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया। श्री प्रेम चन्द पुत्र स्व. श्री हरिशंकर का दिनांक 31.07.2020 को स्वर्गवास के पश्चात् उपरोक्त सम्पत्ति में स्वर्गीय श्री प्रेम चन्द के अविभाजित 1/2 हिस्से के हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत उनकी पत्नी श्रीमती कमला सिंघल, पुत्री श्रीमती रवि अग्रवाल, पुत्र श्री संजय एवम् श्री अतुल कुमार संयुक्त रूप से मालिक काबिज व अधिकारी हुये। श्रीमती कमला सिंघल, श्रीमती रवि अग्रवाल एवं श्री संजय द्वारा उक्त सम्पत्ति में निहित अपने-अपने अविभाजित हिस्से को श्री अतुल कुमार के हक में त्याग कर, हक त्याग पत्र पंजीबद्ध करवा दिया है। श्री अतुल कुमार द्वारा उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को विक्रय किया जाना प्रस्तावित है, उपरोक्त सम्पत्ति एवं संव्यवहार के संबंध में किसी भी आम व खास को कोई उज्र एवं आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति मय दस्तावेजात आम सूचना प्रकाशन से सात दिवस की अवधि मे मेरे कार्यालय मे उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. इसके पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई उज्र एवं आपत्ति मान्य नही होगी।
जयपुर निर्मल कुमार शर्मा, एडवोकेट
दिनांक :10.6.25 मो.: 9829684444, 8290384444

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक-4018 **जाहिर आम-सूचना** दिनांक-11/6/25
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 250/08 (HIG), (एरिया 264.00 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्री पवन गोयल पुत्र श्री अशोक कुमार गोयल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1218 दिनांक 10.06.2009 को जारी किया गया। श्री पवन गोयल के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 07.03.2013 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये। श्री पवन गोयल द्वारा उक्त आवास को दिनांक 06.06.2013 के द्वारा श्री हितेश घनश्याम भाई गढ़िया पुत्र श्री घनश्याम गढ़िया एवं श्रीमती कोमल कुमरा पत्नी श्री दिलीप कुमरा को विक्रय कर उप पंजीयक जयपुर-प्रथम, के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती कोमल कुमरा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 07.10.2014 के उक्त आवास के स्वयं का 1/2 भाग को श्री हितेश घनश्याम भाई गढ़िया पुत्र श्री घनश्याम गढ़िया को विक्रय कर उप पंजीयक अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। श्री हितेश घनश्याम भाई गढ़िया के आवेदन करने पर कार्यालय आदेश क्रमांक 12520 दिनांक 21.01.2016 के द्वारा मण्डल रिकार्ड मे नाम दर्ज किया गया। श्री हितेश घनश्याम भाई गढ़िया द्वारा श्री वीर तेजा रियल एस्टेट एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड जरिये निदेशक श्री राजेश कुमार चौधरी पुत्र श्री रामचन्द्र चौधरी को दिनांक 14.03.2022 को मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री वीर तेजा रियल एस्टेट एण्ड डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड द्वारा मुख्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 05.02.2025 के द्वारा श्री जय किशन खत्री पुत्र श्री भगवान दास खत्री को विक्रय कर उप पंजीयक अष्टम, मानसरोवर, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / केती श्री जय किशन खत्री पुत्र श्री भगवान दास खत्री द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अत: उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है. श्री जय किशन खत्री पुत्र श्री भगवान दास खत्री का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर

नाम परिवर्तन

मै मुस्कान, पुत्री आर्मी नंबर 2998234A एक्स-नायक नरेश सिंह, निवासी ढाणी बधाण, तह.-खेतड़ी, झुंझुनू (राज.)। मेरे पिता के सेवा दस्तावेज में मेरा नाम मुश्कान और जन्म तिथि 08.01.2007 गलत दर्ज है। मेरा सही नाम मुस्कान और जन्मतिथि 10.12.2006 है। शपथ पत्र संख्या 0011208643 दिनांक 11.06.2025

I have changed name of my son from Mokshit Singh to Madhav Raj Singh for all future purpose. Brijesh Kumar R/o 108, Roop Nagar Second, Mahesh Nagar, Tonk Phatak, Jaipur

न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) दूदू जिला जयपुर
क्रमांक/भू.अ./2025/1616-17 दिनांक-12/06/25
आम सूचना जरिये प्रार्थना पत्र प्रार्थी बनवारी लाल पुत्र रामा जाति जाट निवासी सनोदिया तहसील दूदू द्वारा मृतक खातेदार रामा पुत्र रामकरण जाति जाट सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज खाता स0 132 कुल किता 20 रकबा 3.44 हैक्ट मे हिस्सा सम्पूर्ण खाता संख्या 133 मे किता 06 रकबा 4.42 हैक्ट. हिस्सा सम्पुर्ण, खाता संख्या 134 किता 08 रकबा 4.87 हिस्सा 1/6, खाता संख्या 135 किता 03 रकबा 2.78 हिस्सा 2/3, खाता संख्या 136 किता 11 रकबा 4.89 हिस्सा 1/3, खाता संख्या 44 किता 1 रकबा 0.05 हिस्सा 1/6, खाता संख्या 71 किता 02 रकबा 0.36 हिस्सा 2/9, खाता संख्या 74 किता 01 रकबा 0.10 हिस्सा 1/9 वाके ग्राम सनोदिया की विरासत का नामान्तरण मृतक खातेदार के बजाय उप पंजीयक कार्यालय दूदू में पंजीबद्ध वसीयत दिनांक 21.01.2022 के आधार पर वसीयत ग्रहिता के पक्ष में खोलने की कार्यवाही कार्यालय हाजा में प्रकरण संख्या 05/2024 अन्तर्गत धारा 135 (2) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 विचाराधीन है।
खातेदार रामा पुत्र रामकरण जाति जाट सा0 देह खातेदार तह0 दूदू की दिनांक 30.11.2023 को ही मृत्यु हो चुकी है। मुताबिक वसीयत, विधिक वारिसान व वसीयत के गवाहान् द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्रों के आधार पर मृतक खातेदार के बजाय बनवारी लाल पुत्र रामा जाति जाट निवासी सनोदिया तहसील दूदू पक्ष में विरासत का नामान्तरण खोले जाने पर किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति / दावा/हक अथवा अन्य कोई वसीयत हो तो इस आम सूचना के प्रकाशन के 07 दिवस में स्वयं अथवा प्लीडर के माध्यम से अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करे। कोई दावा / आपत्ति प्राप्त नही होने पर प्रकरण का निस्तारण नियमानुसार कर दिया जायेगा। सूचित रहे।
तहसीलदार (भू.अ.) दूदू-जयपुर

खोया पाया

मेरे प्लॉट नं. 70, गुरू कॉलोनी, गोनेर रोड, जयपुर के मूल कागजात, पट्टा, साईट प्लान, रसीद, मुख्तयारनामा, एग्रीमेन्ट कहीं खो गये है। मिलने पर सूचित करें- Jhutha Ram Meena-9829710707

मेरे आवास संख्या 31/79/06 मानसरोवर, जयपुर का मूल आवंटन पत्र व कब्जा पत्र कहीं गुम हो गया है। मिलने पर सूचित करें। हाकिम लाल मेघवाल मो. 6350081658

मेरे भूखण्ड संख्या I-578 अभिनव विहार विस्तार , का मूल आवंटन पत्र व कब्ज़ा पत्र कही गुम हो गया हैमिलने पर सम्पर्क करें। कमलेश सैनी-फोन नंबर - 8619097006

हैतुक दर्शित करने के लिये सूचना
(साधारण प्रारूप)
व्यवहार प्रक्रिया संहिता पहली अनुसूची संख्याक 4
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश क्रम 10
सांगानेर जयपुर महानगर (प्रथम)
राजूलाल माली
बनाम श्रीमती कमलादेवी
Case No. 96/24
श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री राजूलाल माली पुत्री श्री हीरालाल R/o खिजुरिया ब्राह्मणान तहसील बस्सी, जिला, जयपुर (राज.).
उक्त प्रार्थी ने इस न्यायालय में यह आवेदन किया है कि नकल संलग्न है।
अतः आपको चेतावनी दी जाती है कि आप उस आवेदन के विरूद्ध हैतुक दर्शित करने के लिये दिनांक 26 माह 9 सन 2025 को 10:00. ए.एम. पूर्वान्ह में स्वयं या अपने प्लीडर द्वारा जिसे सम्यक रूप से अनुदेश किया गया हो, उपसंजात हो। यदि आप ऐसा करने में असफल रहेगें तो उक्त आदेश की सुनवाई और उसका निपटारा एकपक्षीय रूप से किया जाएगा।
यह आज ता. 06 माह 6 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।
आज्ञा से-सरिश्तेदार
अपर जिला और सैशन न्यायाधीश संख्या 10, जयपुर महानगर प्रथम मुख्यालय सांगानेर

नम्बर मिलाइए 9587884433
सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

आम सूचना
हर आम एवं खास को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण हिमांगिनी राठौड़ पुत्री श्री चन्द्रशेखर राठौड़ एवं अनुसुईया राठौड़ पत्नी श्री चन्द्रशेखर राठौड़ निवासीगण- 499, नेमी सागर कॉलोनी, किंग्स रोड, वैशाली नगर जयपुर के है। अभी वर्तमान में मेरे अभिभाष्यगण के पिता व पति वृद्धावस्था के कारण उनकी मानसिक एवं शारिरिक स्थिति ठीक नहीं है। इसलिए उनके द्वारा किसी भी प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में किये गये लेन देन अवैध एवं अमान्य एवं प्रभावशून्य होगें। क्योंकि उनके सोचने समझने की शक्ति मानसिक अस्वस्थता के कारण ठीक नहीं है। यदि इस आम सूचना के पूर्व भी कोई लेन देन या किमति प्रतिभूतियां, करार इत्यादि श्री चन्द्रशेखर राठौड़ किसी दीगर व्यक्ति से किये हैं चाहे उक्त चल अचल सम्पत्तियां जयपुर में स्थित हो या जयपुर से बाहर स्थित हो उसकी सूचना मेरे ऑफिस को इस आम सूचना के 15 दिवस के अन्दर प्रेषित करें। इसलिए आम सूचना के प्रकाशन के द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्यगण की बिना भौतिक उपस्थिति के एवं बिना उनकी सहमति के चन्द्रशेखर राठौड़ के द्वारा की गयी कोई भी लिखावट व करार चल अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में मान्य नहीं होगा। अगर किसी दीगर व्यक्ति / बैंक / संस्था / कम्पनी के द्वारा चल अचल सम्पत्ति को क्रय करने या लीज पर देने, लीज राशि प्राप्त करने या मोरगेज आदि से सम्बन्धित कोई कार्यवाही चल अचल सम्पत्ति के बाबत की जाती है तो इस प्रकार की कार्यवाही निष्प्रभावी व शून्य मानी जावेगी।
भवदीय,
(अभिनन्दन जैन) एडवोकेट मो. नं. 9314644126

आम सूचना
(दिनांक 05.04.2025 की सूचना के अनुक्रम में)
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या ममता अग्रवाल पत्नी श्री महेश कुमार अग्रवाल, निवासी बी-56, गौतम मार्ग, हनुमान नगर, वैशाली नगर, जयपुर 302021 ने प्लॉट संख्या 143, गोम डिफेन्स कॉलोनी, एवेन्यू नम्बर 2, वैशाली नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर की समस्त निर्मित तामीरात मय छतडीवारी सहित श्रीमती विदुषी गर्ग पत्नी स्वर्गीय श्री पंकज गर्ग, निवासी 143, गोम डिफेन्स कॉलोनी, एवेन्यू नम्बर 2, वैशाली नगर, खातीपुरा रोड, जयपुर से समस्त प्रतिफल राशि अदा कर दिनांक 25.04.2025 को पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 1193 मे पृष्ठ संख्या 9 क्रम संख्या 202503021109363 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 4770 के पृष्ठ संख्या 157 से 171 जरिए विक्रय पत्र क्रय कर उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है, जिससे मेरी अभिभाष्या एक मात्र काबिज, मालिक, स्वामिनी है। इस सम्पत्ति के सम्बन्ध में किसी संस्था, बैंक या व्यक्ति की कोई उधारी शेष नहीं है तथा विदुषी गर्ग द्वारा भी समस्त विक्रय प्रतिफल राशि प्राप्त कर पूर्ण होशो हवास में सम्पत्ति का हस्तान्तरण कर कब्जा एवं स्वामित्व मेरी अभिभाष्या को सम्भला दिया है, जिस पर समस्त हक अधिकार मेरी अभिभाष्या के निहित है। सूचना जारी कर दी गई है, ताकि सनद रहे एवं वक्त जरूरत काम आवे।
(प्रमोद गौतम) एडवोकेट, मोबाईल : 9672977465

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
क्रमांक: ज.वि.प्रा./ जोन-6/2025/डी-1061 **सार्वजनिक सूचना** दिनांक: 10.06.2025
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि इरफान अली चौपदार पुत्र श्री युसूफ अली चौपदार द्वारा रजि. विक्रय पत्र के आधार पर विकास भवन गृ.नि.स.स. की योजना रामेश्वरधाम-वी के भूखण्ड संख्या 29 क्षेत्रफल 182.27 व.ग. का नाम हस्तान्तरण पत्र जारी करने हेतु आवेदन किया है। जविप्रा द्वारा उक्त भूखण्ड की लीजडीड श्री राकेश कुमार पुत्र श्री प्रकाश चन्द के पक्ष में जारी की गई है।
अतः इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति/संस्था/कम्पनी/सह खातेदार व अन्य किसी को कोई आपत्ति हो, तो विज्ञप्ति प्रकाशन दिनांक से 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करे, अन्यथा योजना रामेश्वरधाम-वी के भूखण्ड संख्या 29 का नाम हस्तान्तरण श्री इरफान अली चौपदार के पक्ष में जारी करने की नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी। मयाद पश्चात कोई आपत्ति स्वीकार नही होगी। उपायुक्त जोन-6, ज.वि.प्रा., जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत्त-प्रथम, प्रताप नगर, जयपुर
क्रमांक:4014 जाहिर आम-सूचना दिनांक:11.06.2025
राजस्थान आवासन मण्डल की प्रताप नगर, सांगानेर योजना में आवास संख्या 250/85 (HIG), (एरिया 265.80 वर्गमीटर) प्रताप नगर, सांगानेर का आवंटन श्रीमती शान्ति देवी पत्नी श्री तेजूलाल को किया जाकर आवंटन पत्र क्रमांक 1375 दिनांक 23.05.2011 को जारी किया गया। श्रीमती शान्ति देवी के पक्ष में उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्र दिनांक 17.06.2011 को उप पंजीयक सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहाँ पंजीकृत करवाये गये। श्रीमती शान्ति देवी द्वारा श्री गजेन्द्र सिंह मीणा पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह मीणा को दिनांक 18.09.2007 को मुख्यारनामा आम धारक नियुक्त किया गया। श्री गजेन्द्र सिंह मीणा द्वारा मुख्यारनामा आम की हैसियत से उक्त आवास को दिनांक 17.06.2011 के द्वारा श्रीमती ज्योति मीणा पत्नी श्री गिर्राज मीणा को विक्रय कर उप पंजीयक-सांगानेर-प्रथम, जयपुर के यहां विक्रय पत्र पंजीकृत करवाया गया। श्रीमती ज्योति मीणा के आवेदन पर कार्यालय आदेश क्रमांक 3758 दिनांक 07.07.2011 द्वारा नाम दर्ज किया गया। श्रीमती ज्योति मीणा द्वारा उक्त आवास को दिनांक 02.11.2018 के द्वारा श्री रामस्वरूप जाट पुत्र श्री रामरतन जाट को विक्रय कर उप पंजीयक सांगानेर-द्वितीय, जयपुर के यहां विक्रय पत्र का पंजीकृत करवाया गया। क्रेता / केती श्री रामस्वरूप जाट पुत्र श्री रामरतन जाट द्वारा आवासन मण्डल में उक्त आवास में अपना नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त आवास के हस्तान्तरण बाबत किसी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति हो तो अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में 7 दिवस में अपनी आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा यह मानते हुए की मण्डल रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने में किसी को कोई आपत्ति नहीं है, श्री रामस्वरूप जाट पुत्र श्री रामरतन जाट का नाम मण्डल रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जावेगा।
सम्पदा प्रबन्धक वृत्त-प्रथम, राज. आवा. मण्डल, जयपुर

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/383 चूंकि प्रार्थी श्री SHYAM SUNDER VIJAY, 330, VIVEK VIHAR, NEAR RAWAT SCHOOL, NEW SANGANER ROAD, SODALA, JAIPUR 302019 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास परमार्थ एवं आध्यात्मिक समिति, PARMARTH BHAWAN, PLOT NO.-5, MOTI NAGAR-B, KATEVA NAGAR, NEW SANGANER ROAD, SODALA, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19/08/2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/394 चूंकि प्रार्थी श्री DEV PRAKASH KHANDAKA, D-192, JAGDISH MARG, NEAR PAREEK COLLEGE BANIPARK, JAIPUR, RAJASTHAN 302016 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास श्रीमती सावित्री देवी खण्डाका मेमोरियल ट्रस्ट, PLOT NO. 643, KHANDAKA MARKET SHOP NO. 246 KE PASS, TRIPOLIYA BAZAR, JAIPUR के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14/08/2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/401 चूंकि प्रार्थी श्री घनश्याम शर्मा पुत्र श्री कल्याण सहाय, गोपालगढ़, सामरेड कलाँ, जयपुर, राजस्थान ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17 (1) के अन्तर्गत प्रन्यास मंदिर श्री रामचन्द्र जी दुर्गामाता सेवा ट्रस्ट, श्री दुर्गामाता मंदिर परिसर, श्री जमवाय माता मंदिर के सामने, आंधी रोड, जयपुर, राजस्थान के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 14/08/2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

प्रपत्र संख्या 7
(देखिये नियम 21)
कार्यालय सहायक आयुक्त (प्रथम) देवस्थान विभाग, जयपुर
राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 18 (2) के अधीन नोटिस
समस्त सम्बन्धित व्यक्तियों को
मुकदमा नम्बर DEV/JAIPUR-I/TRUST/2025/300 चूंकि प्रार्थी श्री Mohd. Arif Ashrafi, Plot No-14, Udhyog Nagar, Niwaru Road, Jhotwara, Jaipur, Rajasthan 302012 ने राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रन्यास आस्था एजुकेशन सोसाइटी, 216, संजय नगर ए, झोटवाड़ा, जयपुर, राजस्थान 302012 के सम्बन्ध में अग्रिम जांच किये जाने के लिए आवेदन-पत्र दिया है।
अतएव धारा 18 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपर्युक्त प्रन्यास जिसकी जांच की जा रही है, में हित रखने वाले समस्त व्यक्तियों के नाम, व्यापक जानकारी के लिए, यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि वे इस नोटिस के जारी होने की तारीख से साठ दिन के भीतर उक्त प्रन्यास के सम्बन्ध में आपत्तियां, यदि कोई हो प्रस्तुत करें।
और यह सूचित किया जाता है कि यदि उपरोक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां नहीं की गई तो उक्त आवेदन-पत्र निर्धारित रीति से निर्णित किया जावेगा तथा जांच ग्रसित मामले में निष्कर्ष अभिलिखित किया जावेगा।
आज दिनांक 11-06-2025 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय मोहर के अधीन जारी किया गया।
आइदा तारीख पेशी 19/08/2025
मोहर अदालत सहायक आयुक्त देवस्थान विभाग, जयपुर-प्रथम

विवाद्यकों के स्थिरीकरण के लिए सम्मन
314 09/06/25 (आदेश 5 के नियम 1 और 5)
न्यायालय अति. सिविल न्यायाधीश (क.ख.) एवं न्यायिक मजि. दक्षिण स्थान जयपुर महा. प्रथम
Smt. इन्द्रा राजवंशी विरूद्ध मोहनलाल व अन्य
वाद बाबत स्थाई निषेधाज्ञा वाद सं. 61 सन् 2008
बनाम
Smt. नन्दनी देवी W/o श्री लालचन्द जाति महाजन स्थान: P.No. 53ए, कैलाशपुरी मनोहरपुरा, जगतपुरा, जयपुर राज
वादी ने आपके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा के लिये वाद पंजीयत किया है। आपका इस न्यायालय में तारीख 30 माह 06 सन् 2025 को दिन में 10.30 AM बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात (हाजिर) होने के लिए वचन दिया जाता है। आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर द्वारा उपसंजात हो सकते हैं जिसे सम्यक् अनुदेश दिये गये हों और जो इस वाद से सम्बन्धित सभी सारवान प्रश्नों के उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा कोई व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि आप उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित साक्ष्य दाखिल करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे में या शक्ति में है पेश करे जिन पर आपकी प्रतिरक्षा या दाखिल/ मुजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित है। और यदि आप किसी अन्य दस्तावेज पर, चाहे वह आपके कब्जे व शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजराई के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है तो आप ऐसी दस्तावेजों को उल्लिखित समय के बाद उपाबद्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्ट करें।
आपको सूचित किया जाता है कि यदि ऊपर बताई गई तारीख को इस न्यायालय में उपसंजात नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा।
यह वाद ता. 09 माह 06 सन 2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है।
नोट: नकल संल्गन नही है। प्रस्तुतकार
सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट दक्षिण जयपुर महानगर प्रथम
मोहर

कार्यालय अधिशाषी अभियंता (झोटवाड़ा जोन) नगर निगम, ग्रेटर जयपुर
(सामुदायिक भवन, तारा नगर डी, खिरणी फाटक रोड, जयपुर)
क्रमांक :- ज.स.अ./2025/93 दिनांक :- 11/06/2025
निविदा सूचना सं.- 49 से 50/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के सभी विभागों में पंजीकृत "AA" "A" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत निविदादाताओं से बिड अधि0 अभि0 (झोटवाडा जोन) से सम्बन्धित विकास कार्यो की निविदा आमंत्रित की जा रही है। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण दिनांक 11.06.2025 09.00 A.M. से नगर निगम, जयपुर की वेबसाईट www.jaipurmc.org व राजस्थान सरकार के पोर्टल http://sppp.raj.nic.in पर देखी जा सकती है व अपलोड की जा सकती है। स्टेट पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल का Unique Bid Number (UBN) JMC2526WSOB00754 To JMC2526WSOB00755 हैं।
अधिशाषी अभियंता (झोटवाडा जोन), नगर निगम ग्रेटर जयपुर
राज.संवाद/सी/25/4158

भरतपुर विकास प्राधिकरण, भरतपुर (राज०)
क्रमांक : नियमन/2025/300-301 सार्वजनिक विज्ञप्ति दिनांक : 11.06.2025
आवेदिका श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री जतीश चौधरी, निवासी हनुमान कॉलोनी, हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी, जिला करौली राज० द्वारा निजी खातेदारी की योजना विमल कुन्ज भरतपुर के आवासीय भूखण्ड संख्या 122 क्षेत्रफल 181.29 वर्गगज के नाम हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया है।
प्राधिकरण द्वारा उक्त भूखण्ड का पट्टा दिनांक 16.09.2010 को श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्व० श्री सीताराम राधेश्याम पुत्र श्री कलुआ के पक्ष में जारी किया गया है। जो कि उपपंजीयक कार्यालय में दिनांक 15.12.2010 को पुस्तक सं० 01 जिल्द संख्या 710 में पृष्ठ सं० 102 क्रम संख्या 2010008273 पर पंजीबद्ध है। तत्पश्चात पट्टाधारकों द्वारा भूखण्ड का नाम परिवर्तन 998-99 दिनांक 10.10.2011 को श्री सौरभ सिंघल पुत्र श्री राजेन्द्र सिंघल को कर दिया। इसके उपरान्त भूखण्ड का नाम परिवर्तन क्रमांक 3287-88 दिनांक 02.11.2017 को श्रीमती निधि पत्नी श्री डॉ० योगेश मित्तल को कर दिया। तत्पश्चात् श्रीमती निधि द्वारा श्रीमती अनीता को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 17.06.2019 जो कि उप पंजीयक कार्यालय भरतपुर में पुस्तक संख्या 01 जिल्द सं० 1115 में पृष्ठ सं० 94 क्रम संख्या 201903098103251 पर पंजीबद्ध है से क्रय किया है। अत: आवेदिका श्रीमती अनीता सिंह पत्नी श्री जतीश चौधरी के पक्ष में उक्त भूखण्ड का नाम हस्तान्तरण किये जाने में किसी व्यक्ति या संस्था आदि को कोई आपत्ति हो तो कृपया विज्ञप्ति प्रकाशन के 7 दिवस में निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। गुजरने म्याद कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
प्रभारी अधिकारी
नियमन भरतपुर विकास प्राधिकरण भरतपुर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता मुरलीपुरा जोन नगर निगम, ग्रेटर जयपुर
मुरलीपुरा स्कीम, सब्जी मंडी, जयपुर
क्रमांक :- ज.स.अ./2025/94 दिनांक :- 11/06/2025
ई- निविदा सूचना संख्या 99-109/2025-26
केन्द्र एवं राज्य सरकार के विभागों में पंजीकृत "एए" व "ए" श्रेणी के ठेकेदारों एवं नगर निगम जयपुर के उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से विभिन्न विकास कार्यो की निविदा आमंत्रित की जाती हैं। कार्यो की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्त आदि सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.raj.nic.in तथा नगर निगम ग्रेटर, जयपुर की Web Site www.jaipurmc.org पर देखी व Download की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकेगीं।
SPPP portal UBN No. JMC2526WSOB00756 To JMC2526WSOB00766
अधिशाषी अभियन्ता (मुरलीपुरा जोन), नगर निगम ग्रेटर, जयपुर
राज.संवाद/सी/25/4157

आम सूचना सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किल शंकर लाल पुत्र स्व0 मुरलीधर निवासी - 1 डी 7, ललिता कॉलोनी, शास्त्री नगर, जयपुर, राज0 की ओर से सूचित किया जाता है कि इनका पुत्र युधिष्ठर व पुत्रवधु प्रियंका इनके कहे में नही है और ना ही यह मेरे मुवक्किल का मान - सम्मान करते है। इसलिये मेरे मुवक्किल ने इन दोनो को अपनी समस्त चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। कोई भी व्यक्ति, संस्था या दीगर इन लोगो से किसी भी प्रकार कोई भी लेन-देन व मेल-जोल रखते है तो उसकी जिम्मेदारी उनकी स्वयं की होगी, मेरे मुवक्किल की नही होगी।
जरिये अधिवक्ता
योगेश कुमार मीणा मोबाइल नं- 9928276736